



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 798) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

28 सितम्बर 2016

एस0ओ0 244, दिनांक 28 सितम्बर 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 50, दिनांक 22 जून, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (3) में वर्तमान प्रविष्टि "5 प्रतिशत" अंक एवं शब्द "8 प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3697]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

28 सितम्बर 2016

एस0ओ0 245, एस0ओ0 244, दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2016-3698]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 28th September 2016

S.O. 244 dated the 28th September 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of Bihar Value Added Tax Act, 2005, the Governor of Bihar is

pleased to make the following amendments in Departmental Notification no. S.O. 50 dated 22nd June, 2005 namely-

1. The present entries “5 percentum” in column number (3) of serial number 2 of the said notification shall be substituted by the figure and word “8 percentum.”
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[F.No. Bikri-kar/Sanshodhan-07/2016—3697]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 798-571+10-डीटी00।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>